

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज बनाम..... मु.नं. 76/23 ^{वचू} (T.S)	नम्बर अह की
------------	--	-------------------

20/12/24 फगापली पेश हुई। फगाकारान को वार-2
 कषाज लगवाई गई। उमष फगा अनुपस्थित रहे।
 फगापली लम्बे समय से ललकी मे लेपित है। प्राप्ती
 को वार-2 निर्देश करके के वावपूद निर्देशों की
 कषाहेलाना की जा रही है। इसलिये फगापली कोदेश
 व नियम 3 पर (जहं दोनों मे से कोर की पडकार
 उपसंजात नही होता है वहां वाद का खारिज किया जाना)
 के तहत प्रदत्त प्रापधानों का प्रयोग करते हुए फगापली
 फगाकारान की कसम धजरी व कसम बैरकी मे खारिज
 की जाती है। साथ ही प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212
 RTA 1955 में जारी अन्तरिम कससाई निषेधाज्ञा
 दिनांक 12.12.2023 के प्रचलनको समाप्त किया
 जाता है। फगापली फैसल शुका, छेकर इन्विल इफतर
 हो।

उपखण्ड अधिकारी
 मण्डावर (दौसा)